



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.  
<http://rajpatrahimachal.nic.in>

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2017 / 31 भाद्रपद, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग (नि०-III)

अधिसूचना

शिमला-2, 16 सितम्बर, 2017

संख्या: पीईआर (एपी)-सी-ए (3)-1/2007-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के

परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं के पद के लिए, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-“क” के अनुसार, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम, विधान सभा सचिवालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सिवाय हिमाचल प्रदेश के समस्त सरकारी विभागों को लागू होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.— (1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या: पी0ई0आर0 (ए0पी0)—सी0—ए (3)—1/2007—I, तारीख 24 दिसम्बर, 2014 द्वारा अधिसूचित और तारीख 29 दिसम्बर, 2014 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में यथा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 का एतद् द्वारा, निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,  
तरुण श्रीधर,  
अति० मुख्य सचिव (कार्मिक)।

उपाबन्ध-“क”

हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं के पदों के लिए सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम.—कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी)
2. पदों की संख्या.— जो सम्बद्ध विभागों में सरकार द्वारा समय-समय पर मंजूर की जाए।
3. वर्गीकरण.—वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं
4. वेतनमान.—(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.—ये बैंड ₹ 5910-20200 /—जमा ₹ 1950 /— ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.—स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹ 7860 /— प्रतिमास।

5. “चयन” पद अथवा “अचयन” पद.— लागू नहीं।

## 6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—18 से 45 वर्ष :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि, पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

**टिप्पणी.**—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

**7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.**—(क) *अनिवार्य अर्हता.*—(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दस जमा दो की परीक्षा पास।

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लिकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में कम से कम एक वर्ष की अवधि का डिप्लोमा।

या

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिक संस्थान (नाईलिट) से 'ओ' या 'ए' स्तर का डिप्लोमा।

या

किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) से सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0) में डिप्लोमा।

(iii) कम्प्यूटर पर, अंग्रेजी टंकण में कम से कम तीस शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो:

परन्तु एक प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत चयनित/भर्ती किए गए दृष्टि बाधित व्यक्तियों को कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लिकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा प्राप्त करने से छूट होगी और टंकण परीक्षा पास करने के बजाय, उन्हें सम्बद्ध विभाग द्वारा कम्पोजिट रीजनल सेन्टर (सीआरसी), सुन्दरनगर या दृष्टिबाधित अक्षम व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान (एन0आई0वी0एच0), देहरादून या कम्पोजिट ट्रेनिंग सेन्टर (सी0टी0सी0), लुधियाना

के माध्यम से कम्प्यूटर प्रशिक्षण सहित आवश्यक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें उपरोक्त प्रशिक्षण को पूर्ण करना होगा जिसके लिए उन्हें तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे। यदि पदधारी उसे अर्हित करने में असफल रहता/रहती है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तथापि, उन पदधारियों को जो पहले से ही सरकारी सेवा में हैं पूर्वोक्त प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में अवसर प्रदान किए जाएंगे :

परन्तु यह और कि दिव्यांगजन जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा टंकण करने के लिए असमर्थ प्रमाणित किए जाने पर भी अन्यथा अर्हित हैं, को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने में छूट दी जा सकेगी। शब्द दिव्यांगजन के अर्न्तगत, वे व्यक्ति नहीं आते हैं जो दृष्टि बाधित या श्रवण बाधित हैं किन्तु इसके अर्न्तगत केवल वे व्यक्ति ही आते हैं जिनकी शारीरिक निशक्तता/विकृति स्थायी रूप से उन्हें टंकण करने से निवारित करती है।

टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान करने के लिए उपरोक्त मानदण्ड कम्प्यूटरों पर दक्षता परीक्षण मानकों के लिए भी लागू होगा।

(ख) *वांछनीय अर्हता (ए)*—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.— लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

(ख) संविदा के आधार पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकण्डमैट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.—शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/ सैकण्डमैट/ स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणीयां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति/सैकण्डमैट/स्थानान्तरण किया जाएगा.— लागू नहीं।

12. यदि विभागीय/स्थायीकरण प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.— जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.— किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.— सीधी भर्ती के मामलों में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—। में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—। में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

**15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**— इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएगी:—

(I) **संकल्पना.**—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश.....(विभाग का नाम) में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम), रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, अध्यापेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) **संविदात्मक उपलब्धियां.**—संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) को ₹ 7860/- की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 235/- (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) **नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.**—विभागाध्यक्ष (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम), हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) **चयन प्रक्रिया.**—संविदा नियुक्ति के मामलों में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—। में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—। में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) **संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.**—जैसी हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) **करार.**—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट “II” के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) **निबन्धन और शर्तें.**—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 7860/- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 235/- की दर से पद के (पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलेंडर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए हकदार होगा। संविदा पर

नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश प्रदान किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन के प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि, आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ.) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0 एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ. /जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

**16 आरक्षण.**— सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधधीन होगी।

**17. विभागीय परीक्षा.**—लागू नहीं।

**18. शिथिल करने की शक्ति.**— जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

परिशिष्ट-I

	लिखित परीक्षा	85 अंक
1.	{लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंको में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ लिखित परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे}।	
2.	<p>अभ्यर्थी का मूल्ययांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना है:-</p> <p>(i) भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता। 2.5 अंक</p> <p>{शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, तो उसे 1.25 अंक अनुज्ञात किए जाएंगे (50×0.025=1.25)}</p> <p>(ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से संबंधित। 01 अंक</p> <p>(iii) भूमिहीन कुटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को संबद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। 01 अंक</p> <p>(iv) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है। 01 अंक</p> <p>(v) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन। 01 अंक</p> <p>(vi) एन एस एस (कम से कम एक वर्ष)/एन सी सी में प्रमाण-पत्र धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता। 01 अंक</p> <p>(vii) ₹ 40,000/- से कम या सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित (समस्त स्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी पी एल कुटुम्ब। 02 अंक</p> <p>(viii) विधवा/तलाकशुदा/अकिंचन/एकल महिला। 01 अंक</p> <p>(xi) इकलौती पुत्री/अनाथ 01 अंक</p> <p>(x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से संबंधित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण। 01 अंक</p> <p>(xi) सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से संबंधित, अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए केवल 0.5 अंक) 2.5 अंक</p>	15 अंक

**कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य..... (नियुक्त प्राधिकारी का पदनाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप**

यह करार श्री/श्रीमति.....पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी.....,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, ..... (नियुक्त प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:-

1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के रूप में ..... से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् ..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 7860/- प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए हकदार होगा। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ पैंतीस दिन का प्रसूति अवकाश प्रदान किया जाएगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन के प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि, आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर



कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी की दशा में प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी से उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण करवाया जाएगा।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी. पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[*Authoritative English Text of the Department Notification No. Per (AP)-C-A(3) -1/2007-II, dated 16-09-2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India*].

## PERSONNEL DEPARTMENT (AP-III)

### NOTIFICATION

*Shimla-171002, 16<sup>th</sup> September, 2017*

**No. Per (AP)-C-A (3)-1/2007-II.**—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Common Recruitment and Promotion Rules for the post of **Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services** in various Departments of the Government of Himachal Pradesh as per Annexure-“A” attached to this notification, namely:-

**1. Short title, commencement and application.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III (Non-Gazetted), Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

(3) These rules shall be applicable to all the Government Departments of Himachal Pradesh, except Vidhan Sabha Secretariat, High Court of H.P. and H.P. Public Service Commission.

**2. Repeal and savings.**—(1) The Himachal Pradesh Department of Personnel, Junior Office Assistant (Information Technology) Class-III (Non-Gazetted), Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion Rules, 2014 notified vide this Department Notification No.Per.(AP)-C-A(3)-1/2007-I, dated 24.12.2014, as published in the Rajpatra of Himachal Pradesh on 29<sup>th</sup> December, 2014 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2(1) supra, shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,  
TARUN SHIRIDHAR,  
*Addl. Chief Secretary (Personnel).*

**Common Recruitment & Promotion Rules for the posts of Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III (Non- Gazetted), Ministerial Services in various Departments of Himachal Pradesh Government.**

1. **Name of Post.**—Junior Office Assistant (Information Technology)
2. **Number of Posts .**—As sanctioned by the Government from time to time in the concerned Departments.
3. **Classification.**—Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services
4. **Scale of Pay.**—(i) *Pay Scale for regular incumbents.*—Pay Band ₹ 5910-20200/- + ₹ 1950/- Grade Pay  
(ii) *Emoluments for Contract Employees.*—₹ 7860/- as per details given in Col. No. 15-A.
5. **Whether “Selection” post or “Non-Selection” Post .**—Not applicable.
6. **Age for direct recruitment.**—Between 18 to 45 year:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations /Autonomous Bodies.

*Note.*— Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

**7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).—**  
(a) ESSENTIAL QUALIFICATION(S).—(i) 10+2 from a recognized Board of School Education.

(ii) Diploma of minimum one year duration in Computer Science/Computer Application/Information Technology from a recognized University/Institution.

OR

‘O’ or ‘A’ level Diploma from National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT).

OR

Diploma in Information Technology (IT) from a recognized ITI.

(iii) Computer typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi:

Provided that visually impaired persons selected/recruited under 1% quota will be exempted from acquiring Diploma in Computer Science/ Computer Application/Information Technology and passing of typing test instead they shall be imparted necessary basic training including computer training course by the Department concerned through Composite Regional Centre (CRC), Sundernagar or National Institute for the Visually Handicapped (NIVH), Dehradun or Composite Training Centre (CTC), Ludhiana. They shall have to complete the above training during which three chances will be afforded. If the incumbent fails to qualify the same his /her services shall be terminated. However, the incumbents already in the service shall be afforded sufficient number of chances to complete the aforesaid training:

Provided further that differently abled persons who are otherwise qualified to hold clerical post as certified being unable to type, by the Medical Board may be exempted from passing the typing test. The term, differently abled persons does not cover those who are visually impaired or who are hearing impaired but cover only those whose physical disability/deformity permanently prevents them from typing.

The above criteria for grant of exemption from passing the typing test shall also be applicable to the Skill Test Norms on Computers.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION (S).—Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

**8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotee(s).—** Not Applicable.

**9. Period of Probation, if any.—** (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis.

**10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—** 100 % by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

**11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade(s) from which promotion/secondment/transfer is to be made.—** Not applicable.

**12. If a Departmental Promotion/Confirmation Committee exists, what is its composition?—**As may be constituted by the Government from time to time.

**13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (HPPSC). is to be consulted in making recruitment.—**As required under the Law.

**14. Essential requirement for a direct recruitment.—**A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

**15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—** Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/ authority, as the case may be.

**15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—** Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

**(I) CONCEPT.—**(a) Under this policy, the Junior Office Assistant (Information Technology) in Department of \_\_\_\_\_(Name of the Department), H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis, the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/ extended.

(b) The HOD (Designation of the appointing authority) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

**(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—**The Junior Office Assistant (Information Technology) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹ 7860/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ₹ 235/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in

contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

**(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.**—The Head of the Department (Designation of the appointing authority) H.P. will be appointing and disciplinary authority.

**(IV) SELECTION PROCESS.**—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur.

**(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.**—As may be constituted by the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur from time to time.

**(VI) AGREEMENT.**—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-“II” appended to these rules.

**(VII) TERMS AND CONDITIONS.**—(a)The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹ 7860/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band +grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹235/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. will be given.

(b)The service of the Contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

**16. Reservation.**—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

**17. Departmental Examination.**— Not Applicable

**18. Power to Relax.**—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post (s).

APPENDIX-I

1.	<b>WRITTEN TEST</b>  {Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks}.	85 marks
2.	Evaluation of candidate to be made in the following manner:- i) Weightage for the minimum educational qualification, rescribed in the Recruitment & Promotion Rules. =2.5 Marks	15 marks

	<p>{Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25 marks (50x0.025=1.25)}</p> <p>ii) Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be. =01 Mark</p> <p>iii) Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority. =01 Mark</p> <p>iv) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service. =01 Mark</p> <p>v) Differently abled persons with more than 40% impairment/disability/infirmity. =01 Mark</p> <p>vi) NSS (alleast one year)/certificate holders in NCC/ The Bharat Scout and Guide/Medal winner in National Level sports competitions. =01 Mark</p> <p>vii) BPL family having annual income (from all sources) below ₹ 40,000/-or as prescribed by the Govt. from time to time. =02 Marks</p> <p>viii) Widow/divorced/destitute/single woman. =01 Mark</p> <p>ix) Single daughter/Orphan =01 Mark</p> <p>x) Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/ Institution. =01 Mark</p> <p>xi) Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year) =2.5 Marks</p>	
--	---	--

**Form of contract/agreement to be executed between the Junior Office Assistant (Information Technology) and the Government of Himachal Pradesh through \_\_\_\_\_ (Designation of the Appointing Authority).**

This agreement is made on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ in the year \_\_\_\_\_ between Sh./Smt. \_\_\_\_\_ S/o/D/o Shri \_\_\_\_\_ R/o \_\_\_\_\_ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor of Himachal Pradesh through \_\_\_\_\_ (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Junior Office Assistant(IT) on contract basis on the following terms and conditions:—



1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Junior Office Assistant(IT) for a period of one year commencing on day of\_\_and ending on the day of\_\_\_\_\_. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on \_\_\_\_\_ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be t 7860/-per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4. The contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 135 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. Junior Office Assistant (Information Technology) appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.....

.....

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. ....

.....

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 12 सितम्बर, 2017

**संख्या: पी0एल0जी0बी (1)-1/2016.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग में **अनुसंधान अधिकारी, वर्ग-I** (राजपत्रित) अलिपिक वर्गीय, के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न "उपाबंध-क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:—



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.  
<http://rajpatrahimachal.nic.in>

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 17 जनवरी, 2019/27 पौष, 1940

हिमाचल प्रदेश सरकार

*[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-33/2018 dated 31-12-2018 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].*

### EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 74/2018-State Tax

*Shimla-2, the 31st December, 2018*

**No. EXN-F(10)-33/2018.**—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal

## 10. Place of supply wise details of IGST demand

Place of Supply (Name of State / UT)	Demand	Tax	Interest	Penalty	Other	Total
1	2	3	4	5	6	7
	Amount in dispute / earlier order Determined Amount					

Place:

Date:

Signature:

Name of the Appellate Authority/ Revisional Authority/ Tribunal / Jurisdictional Officer.

Designation:

Jurisdiction:".

By order,

Sd/-

(JAGDISH CHANDER SHARMA),

Principal Secretary (E&amp;T).

Note.—The principal rules were published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* notification No. **EXN-F(10)-13/2017**, dated the 27th June, 2017, published *vide* number **EXN-F(10)-13/2017**, dated the 29th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 60/2018—State Tax, dated the 31st October, 2018, published *vide* number EXN-F(10)-31/2018, dated the 2nd November, 2018.

कार्मिक विभाग  
(नि०-III)

अधिसूचना

शिमला-2, 14 जनवरी, 2019

संख्या पर.(ए.पी.) सी-ए(3)-1/2007-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पर.(ए.पी.) सी-ए(3)-1/2007-II, तारीख 16 सितम्बर, 2017 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III

(अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग—III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. उपाबन्ध—“क” का संशोधन.—**हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग—III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 के उपाबन्ध—“क” में:—

स्तम्भ संख्या: 7 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

**“(क) अनिवार्य अर्हता (ए):**

- (i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दस जमा दो की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- (ii) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से सहबद्ध किसी संस्थान से या किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में कम से कम एक वर्ष की अवधि का डिप्लोमा।

या

राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाईलिट) से ‘ओ’ या ‘ए’ स्तर का डिप्लोमा।

या

किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) से सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0) में डिप्लोमा।

- (iii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति रखता हो:

परन्तु एक प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत चयनित/भर्ती किए गए दृष्टि बाधित व्यक्तियों को कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा प्राप्त करने और टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट होगी इसके बजाय, उन्हें सम्बद्ध विभाग द्वारा कम्पोजिट क्षेत्रीय केन्द्र (सी.आर.सी.), सुन्दरनगर या दृष्टिबाधित अक्षम व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान (एन.आई.वी. एच.), देहरादून या कम्पोजिट ट्रेनिंग सेन्टर (सी0टी0सी0), लुधियाना के माध्यम से कम्प्यूटर प्रशिक्षण सहित आवश्यक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें उपरोक्त प्रशिक्षण को पूर्ण करना होगा, जिसके लिए उन्हें तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे। यदि पदधारी उसे अर्हित करने में असफल रहता/रहती है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। तथापि, उन पदधारियों को जो पहले से ही सेवारत हैं, पूर्वोक्त प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में अवसर प्रदान किए जाएंगे:

परन्तु यह और कि दिव्यांगजन, जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा टंकण परीक्षा के लिए असमर्थ प्रमाणित किए जाने पर भी अन्यथा अर्हित हैं, को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की जा सकेगी।

**स्पष्टीकरण:**—पद "दिव्यांगजन" के अन्तर्गत, वे व्यक्ति नहीं आते हैं जो दृष्टिबाधित या श्रवण बाधित हैं, किन्तु उसके अन्तर्गत केवल वे व्यक्ति ही आते हैं जिनकी शारीरिक निःशक्तता/विकृति स्थायी रूप से उन्हें टंकण करने से निवारित करती है।

टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान करने के लिए उपरोक्त मानदण्ड कंप्यूटरों पर दक्षता परीक्षण मानकों के लिए भी लागू होगा।

**(ख) वांछनीय अर्हता(ए):**

हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।"।

आदेश द्वारा,

आर० डी० धीमान,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Per (AP)-C-A (3)-1/2007-II, dated 14-01-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

**PERSONNEL DEPARTMENT  
(AP-III)**

**NOTIFICATION**

*Shimla-2, the 14<sup>th</sup> January, 2019*

**No. Per (AP)-C-A (3)-1/2007-II.**—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Personnel, **Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III** (Non-Gazetted) Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion Rules, 2017 notified *vide* this Department Notification No. Per(AP)-C-A(3)-1/2007-II dated 16th September, 2017, namely:—

**1. Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, (e-Gazette) Himachal Pradesh.

**2. Amendment of Annexure-A.**—In Annexure-A of the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services Common Recruitment and Promotion Rules, 2017:—

For the existing provisions against Col. No. 7, the following shall be substituted, namely:—

---

“(a) ESSENTIAL QUALIFICATION(S):

- (i) 10+2 from a recognized Board of School Education
- (ii) Diploma of minimum one year duration in Computer Science/Computer Application/Information Technology from an Institution affiliated to a recognized Board or University or from a deemed University.

OR

“O” or “A” level Diploma from National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT).

OR

Diploma in Information Technology (IT) from an Industrial Training Institute (ITI)

- (iii) Computer typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi.

Provided that visually impaired persons selected/recruited under 1% quota will be exempted from acquiring Diploma in Computer Science/Computer Application/Information Technology and passing of typing test instead they shall be imparted necessary basic training including computer training course by the Department concerned through Composite Regional Centre (CRC), Sundernagar or National Institute for the Visually Handicapped (NIVH), Dehradun or Composite Training Centre (CTC), Ludhiana. They shall have to complete the above training for which three chances will be afforded. If the incumbent fails to qualify the same his/her services shall be terminated. However, the incumbents already in the service shall be afforded sufficient number of chances to complete the aforesaid training:

Provided further that differently abled persons who are otherwise qualified to hold clerical post as certified being unable to type, by the Medical Board, may be exempted from passing the typing test.

*Explanation.*—The term, “differently abled persons” does not cover visually impaired persons or persons who are hearing impaired but cover only those whose physical disability/ deformity permanently prevents them from typing.

The above criteria for grant of exemption from passing the typing test shall also be applicable to the Skill Test Norms on Computers.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION(S):

Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.”.

By order,

R. D. DHIMAN,  
Addl. Chief Secretary (Personnel).



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.  
<http://rajpatrahimachal.nic.in>

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 02 जून, 2020 / 12 ज्येष्ठ, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग (नि०-III)

अधिसूचना

शिमला-02, 28 मई, 2020

संख्या पर.(ए.पी.) सी-ए(3)-1/2007-III—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना संख्या पर.(ए.पी.) सी-ए(3)-1/2007-II, तारीख 16 सितम्बर, 2017



द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. उपाबन्ध-“क” का संशोधन.—**(क) हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘उक्त नियम’ कहा गया है) के उपाबन्ध-“क” में,—

(क) स्तम्भ संख्या: 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान : पे बैंड 5910-20200/- रुपए जमा 1950/- रुपए ग्रेड पे।

(ii) कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के संवर्ग में पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत को संवर्ग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) के रूप में कम से कम 5 वर्ष के नियमित सेवाकाल के उपरान्त पे बैंड 10300-34800/- रुपए जमा 3600/- रुपए ग्रेड पे दिया जाएगा तथा इन पदों के पदधारी (पदधारियों) को स्थानन द्वारा कनिष्ठ सहायक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।

(iii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां-स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 7860/- रुपए प्रतिमास।”

(ख) स्तम्भ संख्या 7 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(क) अनिवार्य अर्हता (एं):

(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए।

या

किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं सहित समय-समय पर महानिदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण (भारत सरकार) द्वारा यथा अधिसूचित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित क्षेत्र (आई.टी.ई.एस.) में एक/दो वर्ष का डिप्लोमा/प्रमाण पत्र या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) द्वारा यथा अनुमोदित किसी बहुतकनीकी संस्थान से कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा।

(ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति रखता हो:

परन्तु एक प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत चयनित/भर्ती किए गए दृष्टि बाधित व्यक्तियों को कंप्यूटर विज्ञान/कंप्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा प्राप्त करने और टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट होगी इसके बजाय, उन्हें सम्बद्ध विभाग द्वारा कम्पोजिट क्षेत्रीय केन्द्र (सी.आर.सी.), सुन्दरनगर या दृष्टिबाधित अक्षम व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान (एन.आई.वी.एच.), देहरादून या कम्पोजिट ट्रेनिंग सेन्टर (सी0टी0सी0), लुधियाना के माध्यम से कंप्यूटर प्रशिक्षण सहित आवश्यक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें उपरोक्त प्रशिक्षण को पूर्ण करना होगा, जिसके लिए उन्हें तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे। यदि पदधारी उसे अर्हित करने में असफल रहता/रहती है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तथापि, उन पदधारियों को, जो पहले से ही सेवारत हैं, पूर्वोक्त प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में अवसर प्रदान किए जाएंगे:

परन्तु यह और कि दिव्यांगजन, जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा टंकण-परीक्षा के लिए असमर्थ प्रमाणित किए जाने पर भी अन्यथा अर्हित हैं, को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की जा सकेगी।

**स्पष्टीकरण:**—पद “दिव्यांगजन” के अन्तर्गत, वे व्यक्ति नहीं आते हैं जो दृष्टिबाधित या श्रवण बाधित हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत केवल वे व्यक्ति ही आते हैं जिनकी शारीरिक निःशक्तता/विकृति स्थायी रूप से उन्हें टंकण करने से निवारित करती है।

टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान करने के लिए उपरोक्त मानदण्ड कंप्यूटरों पर दक्षता परीक्षण मानकों के लिए भी लागू होंगे।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं):

हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।”;

(ग) स्तम्भ संख्या 15 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित क्षेत्र (आई.टी.ई.एस)/इनफोर्मेशन प्रैक्टिसेज (आई.पी.) से सम्बंधित सत्तर प्रतिशत पाठ्यक्रम वाली लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—I में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन और व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण के अनुसार किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।”, और

(घ) स्तम्भ संख्या 15—क (iv) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

**चयन प्रक्रिया:**

“(iv)संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित क्षेत्र (आई.टी.ई. एस)/इनफोर्मेशन प्रैक्टिसेज (आई.पी.) से सम्बंधित सत्तर प्रतिशत पाठ्यक्रम वाली लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट—I में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार मूल्यांकन और व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण के अनुसार किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्यादि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।”।

(ङ) स्तम्भ संख्या 15—क की क्रम संख्या (VII) में,—

(i) खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: —

"(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्त पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख जिसको पर्यवसान समापन आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा;

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश; जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।" और

(i) खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: —

"(च) चयनित अभ्यर्थी को राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा—शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।"।

(च) उक्त नियमों के उपाबन्ध—क के परिशिष्ट—II में,—

(i) क्रम संख्या 3 और 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: —

"3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस

तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालिस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा";

- "4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश; जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।" और

(ii) क्रम संख्या 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात: —

- "7 चयनित अभ्यर्थी को राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।"

आदेश द्वारा,  
आर0 डी0 धीमान,  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Per (AP)-C-A (3)-1/2007-III, dated 28th May, 2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

## DEPARTMENT OF PERSONNEL (AP-III)

### NOTIFICATION

Shimla-02, the 28th May, 2020

**No. Per (AP)-C-A (3)-1/2007-III.**—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation

with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion Rules, 2017 notified *vide* this Department Notification No.Per(AP)-C-A(3) 1/2007-II, dated 16th September, 2017, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion (Second Amendment) Rules, 2020.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.

**2. Amendment of Annexure-A.**—(a) In Annexure-A to the Himachal Pradesh, Department of Personnel, Junior Office Assistant (Information Technology), Class-III (Non-Gazetted) Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion Rules, 2017 (hereinafter referred to as the “said rules”):—

For the existing provisions against Col. No. 4, the following shall be substituted, namely:—

*"(i) Pay scale for regular incumbent (s) : Pay band of Rs.5910-20200+Rs.1950/- Grade Pay.*

*(ii) Pay Band Rs.10300-34800+Rs.3600/- Grade Pay to be given to the 50% of the total number of posts of Junior Office Assistant (IT) in the cadre after minimum 5 years of regular service as Junior Office Assistant (IT) in the cadre and the incumbent(s) of this post shall be designated as Junior Assistant by placement.*

*(iii) Emoluments for Contract Employee(s) : Rs.7860/- per month as per details given in Col.No.15-A.";*

(b) For the existing provisions against Col. No. 7, the following shall be substituted, namely:—

**"(a) ESSENTIAL QUALIFICATION (S):**

(i) Should have passed 10+2 Examination from a recognized Board of School Education/ University.

OR

Matriculation from recognized Board of School Education with one/two year's Diploma/Certificate from an Industrial Training Institute (ITI) in Information Technology (IT) & Information Technology Enabled Sectors (ITES) as notified by Director General of Employment & Training (Govt. of India) from time to time or three years Diploma in Computer Engineering/ Computer Science/IT from a Polytechnic as approved by All India Council for Technical Education (AICTE):

(ii) Computer typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi:

Provided that visually impaired persons selected/ recruited under 1% quota will be exempted from acquiring Diploma in Computer Science/Computer Application/Information Technology

and passing of typing test instead they shall be imparted necessary basic training including computer training course by the Department concerned through Composite Regional Centre (CRC), Sundernagar or National Institute for the Visually Handicapped (NIVH), Dehradun or Composite Training Centre (CTC), Ludhiana. They shall have to complete the above training for which three chances will be afforded. If the incumbent fails to qualify the same his/ her services shall be terminated. However, the incumbents already in the service shall be afforded sufficient number of chances to complete the aforesaid training:

Provided further that differently abled persons who are otherwise qualified to hold clerical post as certified being unable to type, by the Medical Board, may be exempted from passing the typing test.

**Explanation.**—The term, “differently abled persons” does not cover visually impaired persons or persons who are hearing impaired but cover only those whose physical disability/ deformity permanently prevents them from typing.

The above criteria for grant of exemption from passing the typing test shall also be applicable to the Skill Test Norms on Computers.

**(b) DESIRABLE QUALIFICATION(S):**

Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.”

(c) For the existing provisions against Col. No. 15, the following shall be substituted, namely:—

"Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination having 70% syllabus relating to Computer Science/Computer Application/Information Technology (IT)/Information Technology Enabled Sectors (ITES)/Information Practices (IP) followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules and practical test or skill test, the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Staff Selection Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be”.

(d) For the existing provisions against Col. No. 15-A at serial number (IV), the following shall be substituted, namely:—

**“(IV) SELECTION PROCESS:**

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination having 70% syllabus relating to Computer Science/Computer Application/Information Technology (IT)/Information Technology Enabled Sectors (ITES)/Information Practices (IP) followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules and practical test or skill test the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur/Other recruiting agency/ authority, as the case may be”.

(e) In Col.No.15-A, at Serial Number (VII)—

(i) For the clauses (b) and (c), the following shall be substituted namely:—

(e) "The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the

performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her:

- (c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imburement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year."; and

- (ii) For the clause (f), the following shall be substituted, namely:—

“(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.”; and

- (f) In Appendix-II of Annexure-A of the said rules—

- (iii) For the condition numbers 3 and 4, the following shall be substituted, namely:—

"(3) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her."

"(4) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract

appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days(irrespective of the number of children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imburement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year."

(ii) For the condition number 7, the following shall be substituted:—

"Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re- examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her."

By order,

R. D. DHIMAN

*Addl. Chief Secretary (Personnel) .*

### कार्मिक विभाग (नि०—III)

.....

अधिसूचना

शिमला—02, 28 मई, 2020

**सख्या: पर.(ए.पी.) सी-ए(3)-7/2010-I.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पर.(ए.पी.) सी-ए(3)-7/2010, तारीख 03 अगस्त, 2011 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग—III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग—III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति ( पांचवां संशोधन ) नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।